

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल कोहका

प्रतिवेदन

क्रमांक : 6/4 /रा.नि.म./कोहका

दुर्ग दिनांक... 28/03/2023

प्रति,

अति. तहसीलदार

भिलाई नगर

जिला दुर्ग (छ.ग)

प्रतिलिपि..... प्रतिवेदन
न्यायालय..... अति. तहसीलदार, भिलाई नगर
रा.प्र.क..... पक्षकार..... योगेश कुमार पाण्डेय
संक्रमांक..... 31-12/22-23 अति. तहसीलदार
कोहका

विषय:- सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक योगेश कुमार पाण्डेय पिता देवानंद पाण्डेय निवासी कुरूद रोड शांति नगर भिलाई के द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न.19"अ" रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा न.198/12 रकबा 0.40 हे. भूमि का सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदन आपके न्यायालय में लगाया गया था आपके न्यायालय से प्राप्त ज्ञापन के परिपालन में दिनांक 22/03/2023 को मौका मिलान किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है ।


1. आवेदित भूमि खसरा न.198/12 रकबा 0.40 हे. भूमि ग्राम कुरूद प.ह.न.19"अ" रा.नि.म. कोहका पटवारी अभिलेख में योगेश कुमार पाण्डेय पिता देवानंद पाण्डेय के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है।
2. आवेदित भूमि खसरा नंबर 198/12 रकबा 0.40 हे. भूमि पटवारी चालू नक्शे में पृथक से बटाकन नहीं है मौके पर आवेदक अपनी भूमि को तार घेरा किया गया है इसलिए आवेदक के दिखाए कब्जे को आधार मानकर मौका मिलान किया गया।

आवेदक द्वारा खसरा नं.198/12 रकबा 0.40 हे. भूमि के रजिस्ट्री बैनामा के अनुसार चौहद्दी उत्तर में गरीब साहू की जमीन खसरा नं 239,240 ,दक्षिण में शासकीय रास्ता , पूर्व में चंद्राकर की जमीन एवं पश्चिम में खसरा नं 198/1 पंचराम साहू की जमीन एवं अन्य की भूमि है।

4. इस प्रकार आवेदित भूमि खसरा नं 198/12 रकबा 040 हे. भूमि को मौके पर नापकर बताया गया।


अतः यह प्रतिवेदन आपके न्यायालय में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है ।




28/03/2023
राजस्व निरीक्षक
कोहका

खसरा नक्शा

ग्राम - कुरूद, प.ह.न. - 00046 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - कोहका , तहसील - दुर्ग , जिला - दुर्ग



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 198/12
 धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
 भूमि : 0.4000 हेक्टेयर
 सिंचित भूमि : 0.0000
 असिंचित भूमि : 0.4000

नाम : योगेश कुमार पाण्डेय आ.देवानन्द पाण्डेय
 पिता का नाम : null
 पता : कोहका

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
 व पदमुद्रा



प्रति,

कलेक्टर महोदया जी,


दुर्ग(छ0ग0)

महोदया.जी,

मैं योगेश कुमार पाण्डेय आ0 श्री डी0एन0पाण्डेय शांति नगर कोहका भिलाई निवासी हूं, मेरी जमीन कुरुद प0ह0न0-046, रा0नि0मं0 कोहका खसरा नं0-198/12 मेरे नाम पर है, जोकि आर0आई0 द्वारा सीमांकन व पूर्ण रूप से नियमानुसार नापी कराने के पश्चात् मैं अपनी स्वयं की जमीन पर बाउण्ड्रीवॉल से घेरा करा रहा हूं, जिसको रोहित साहू, राजेन्द्र साहू, अशोक साहू, सभी के आत्मज गरीब दास साहू है, जो कि महोदया जी मेरी जमीन में आये दिन आकर विवाद करते हैं, और बोलते हैं कि मैं इनकी जमीन को हड़पना चाहता हूं, इनके द्वारा अपनी जमीन को सीमांकन कई बार करा चुके हैं। महोदया जी इनकी जमीन में बंदोबस्त त्रुटि है। आर0आई0 द्वारा बताया गया है कि इनकी जमीन में बंदोबस्त त्रुटि है। बंदोबस्त त्रुटि के कारण इनका रकबा बढ़ गया है, पटवारी नक्शे के अनुसार जमीन लगभग 80 डिस्मिल है। बंदोबस्त त्रुटि के कारण इनकी जमीन का रकबा 01 एकड़ 60 डिस्मिल हो गया है। मौके पर इनकी जमीन का सीमांकन आर0आई0 द्वारा कई बार किया जा चुका है। उसके बाद भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं होती है और मेरे खिलाफ शिकायत बार-बार रोहित साहू, राजेन्द्र साहू, अशोक साहू, सभी के आत्मज गरीब दास साहू द्वारा कर-कर मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।

महोदया जी, रोहित साहू, राजेन्द्र साहू, अशोक साहू, सभी के आत्मज गरीब दास साहू ने अपनी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का कार्य जमीन दलालों अजहरूद्दीन(अजहर) अंसारी, रहीम, विनय प्रसाद, के साथ मिलकर किया जा रहा है। मौके पर मुरुम का रोड रास्ता बनाकर व पोल मार्किंग कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। अभी तक 03 से 04 टुकड़ों में छोटे-छोटे प्लॉट बेच कर पंजीयन कराया जा चुका है। बंदोबस्त त्रुटि के कारण रकबा ज्यादा होने के कारण ये लोग मेरी जमीन पर आये दिन विवाद करते हैं व मुझे फसाने के लिए धमकी देते हैं।

अतः महोदया जी आपसे सादर निवेदन है कि मेरे आवेदन पर उचित से उचित जांचकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।



आवेदक

योगेश कुमार पाण्डेय

9098532856

संलग्न- 01. बी.01, बी.02 नक्शा खसरा

02 सीमांकन रिपोर्ट की कॉपी



221/411074